भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 864

जिसका उत्तर 7फरवरी, 2024 को दिया जाना है।

18 माघ, 1945 (शक)

मोबाइल पुर्जों का विनिर्माण

864. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री प्रतापराव जाधव:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का मोबाइल फोन के पुर्जों पर आयात शुल्क को कम करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या बढ़ते विनिर्माण के कारण विश्व बाजार में भारतीय मोबाइल फोनों के निर्यात में काफी वृद्धि दर्ज की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का मोबाइल पुर्जों का घरेलू स्तर पर विनिर्माण शुरू करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) चीन, वियतनाम आदि जैसे सस्ते मोबाइल विनिर्माता देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क): पिछले नौ वर्षों में, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकीतंत्र में जबरदस्त वृद्धि और विस्तार, निवेश और रोजगार सृजन देखा गया है। वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्सआपूर्ति श्रृंखला में भारत लगभग महत्वहीन सेवर्तमान में उपकरणों में बड़े निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ निर्यात को बढ़ावादेने के लिए अनेक उपाय किए इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल वैल्यूचेन (जीवीसी) में तेजी से एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय प्लेयर बन रहा है। अधिकांश वैश्विकऔर भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड इस क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं औररोजगार सृजन कर रहे हैं। भारत सरकार का लक्ष्य देश के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्रको व्यापक और सुदृढ़ करके इलेक्ट्रॉनिक्स जीवीसी में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना है। भारतसरकार का लक्ष्य देश के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक और सुदृढ़ करने के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स जीवीसी में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना है। सरकार नेदेश में मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा इलेक्ट्रॉनिकवस्तुओं एवं हैं।

हमारे घरेलू विनिर्माण को आयात प्रतिस्थापन से निर्यातोन्मुखी विनिर्माणमें परिवतत करने के लिए सरकार ने मोबाइल फोनों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए यांत्रिकी, डाई कट पुर्जे और अन्य श्रेणी के अंतर्गत शामिल होने वाली वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को घटाकर 10% कर दिया है। इसके अलावा, मैकेनिक्स और डाई कट पाट्र्स के तहतशामिल किए गए सामानों के विनिर्माण में उपयोग के लिए इनपुट या पाट्र्स पर बीसीडी को छूटदी गई है।

(ख) से (ग) बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए दूरदर्शीउत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना सहित विभिन्न पहलों के परिणामस्वरूप, भारतसरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत मोबाइल फोन विनिर्माण में अभूतपूर्ववृद्धि हुई है। मोबाइल फोन विनिर्माण 2014-15 में अनुमानित आईएनआर 18,900 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में अनुमानित आईएनआर 3,50,000 करोड़ हो गया है, जिससे उत्पादन में 1700% से अधिककी प्रभावशाली वृद्धि हुई है। भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता (मात्रा केसंदर्भ में) बन गया है। मोबाइल फोन का निर्यात भी 2014-15 में अनुमानित 1566 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में अनुमानित 90,000 करोड़ रुपये हो गया है, जिससेनिर्यात में 5600% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि हुई है।

सरकार ने 2026 तक 300 अरब डॉलर के घरेलू इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माणका महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। भारत सरकार का लक्ष्य भारत को अपनी आत्मनिर्भर भारतआर्थिक नीतियों के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओंमें एक महत्वपूर्ण डिजाइन और निर्यात संचालित विनिर्माण केंद्र बनाना है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माण को व्यापक बनाने और सुदृढ़ बनाने के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक्सके मौजूदा उत्पादन को 75 अरब डॉलर के स्तर से 300 अरब डॉलर तक पहुंचाने की रणनीति बनाई गई है। इसके द्वारा वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्सनिर्माताओं / ब्रांडों को आकर्षित करके, उप-असेंबली और घटक पारिस्थितिकी तंत्र को स्थानांतरितकरने और विकसित करने, एक डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने, भारतीय चैंपियन को सहायता देने और उद्योग द्वारा सामना की जाने वाली लागत अक्षमताओं को लगातार दूर करके प्रतिस्पर्धाऔर पैमाने का निर्माण करके प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

अब तक मोबाइल स्मार्टफोन में सफलता को देखते हुए, हम घटक उद्योगोंसे निवेश की उम्मीद करते हैं जो आईटी हार्डवेयर / सर्वर में पीएलआई द्वारा निवेश बढ़ानेके लिए स्मार्टफोन और आईटी हार्डवेयर के लिए आपूर्ति श्रृंखला बनाते हैं।

मोबाइल फोन के लिए पीएलआई योजना की सफलता के बाद, हम उम्मीदकर रहे हैं कि आईटी हार्डवेयर और सर्वर के लिए पीएलआई से आपूर्ति श्रृंखला विकसित करनेके लिए देश में घटक पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश का विस्तार होगा।

(घ) से (ङ) भारत सरकार चिपसेट सहित कोर संघटकों के विकास के लिए देशमें क्षमताओं को प्रोत्साहित करके और प्रेरित करके और उद्योग के लिए वैश्विक स्तर परप्रतिस्पर्धा करने हेतु एक समर्थकारी वातावरण का सृजन करके भारत को निर्यातोन्मुख विनिर्माणहब और इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए एक वैश्विक हबके रूप में स्थापित करने की परिकल्पना करती है। सरकार का इरादा मोबाइल फोनों के पुर्जोंसहित इलेक्ट्रॉनिक संघटकों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने का है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओंके घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम अनुबंध में दिए गएहैं। उपर्युक्त कदमों से मोबाइल फोनों के घरेलू विनिर्माण को अन्य प्रतिस्पर्धी देशोंकी तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायता मिल रही है।

****

अनुबंध

भारतसरकारकालक्ष्यदेशकेइलेक्ट्रॉनिकविनिर्माणपारिस्थितिकीतंत्रकोव्यापकऔरसुदृढ़ करनाहै।सेमीकंडक्टर्ससहितइलेक्ट्रॉनिकीविनिर्माणकोबढ़ावादेनेऔरभारतकोइलेक्ट्रॉनिकीप्रणालीडिजाइनऔरविनिर्माण (ईएसडीएम) केलिएएकवैश्विककेंद्रकेरूपमेंस्थापितकरनेऔरवैश्विकस्तरपरप्रतिस्पर्धाकरनेकेलिए, सरकारद्वारानिम्नलिखितकदमउठाएगएहैं:

1. **राष्ट्रीयइलेक्ट्रॉनि**की **नीति 2019**: राष्ट्रीयइलेक्ट्रॉनिकी नीति2019 (एनपीई 2019) को 25.02.2019 कोअधिसूचितकियागयाहै।एनपीई 2019 काविजनचिपसेटसहितमुख्यघटकोंकोविकसितकरनेकेलिएदेशमेंक्षमताओंकोप्रोत्साहितकरनेऔरचलानेऔरउद्योगकेलिएविश्वस्तरपरप्रतिस्पर्धाकरनेकेलिएएकसक्षमवातावरणबनानेकेलिएइलेक्ट्रॉनिक्ससिस्टमडिजाइनऔरविनिर्माण **(ईएसडीएम)** केलिएभारतकोवैश्विककेंद्रकेरूपमेंस्थापित करना है।

इलेक्ट्रॉनिक्समूल्यश्रृंखलामेंबड़ेनिवेशकोआकर्षितकरनेऔरप्रोत्साहितकरनेऔरनिर्यातकोबढ़ावादेनेकेलिए, एनपीई 2019 केतत्वावधानमेंनिम्नलिखितयोजनाओंकोअधिसूचितकियागयाहै:

(i) बड़ेपैमानेपरइलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माणकेलिएउत्पादनलिंक्डप्रोत्साहनयोजना (पीएलआई) 01 अप्रैल**, 2020** कोअधिसूचितकीगईथी**,** ताकिमोबाइलफोनविनिर्माणऔरअसेंबली**,** परीक्षण**,** मार्किंगऔरपैकेजिंग **(**एटीएमपी**)** इकाइयोंसहितनिर्दिष्टइलेक्ट्रॉनिकघटकोंकेविनिर्माणमेंशामिलवृद्धिशीलबिक्री **(**आधारवर्षमें**)** परपात्रकंपनियोंको **4%** से **6%** काप्रोत्साहनप्रदानकियाजासके।

(ii) आईटी हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (पीएलआई) को 03 मार्च, 2021 को अधिसूचित किया गया था, जिसमें भारत में निर्मित वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष में) पर 4% से 2%/1% का प्रोत्साहन प्रदान किया गया था और पात्र कंपनियों को चार (4) वर्षों की अवधि के लिए लक्षित खंड के तहत कवर किया गया था। पीएलआई योजना के तहत लक्षित खंड में (i) लैपटॉप (ii) टैबलेट, (iii) ऑल-इन-वन पीसी और (iv) सर्वर शामिल हैं।

iii. आईटीहार्डवेयरकेलिएपीएलआईयोजना 2.0:यह योजना 29 मई, 2023 को 17,000 करोड़रुपयेकेबजटीयपरिव्ययकेसाथअधिसूचितकीगईथी।यहयोजनाआवेदकोंकेलिएअत्यधिक लचीलापनऔरविकल्पप्रदानकरतीहै, औरविकासकोऔरप्रोत्साहितकरनेकेलिएवृद्धिशीलबिक्रीऔरनिवेशसीमासेजुड़ीहुईहै।इसकेअलावा, सेमीकंडक्टरडिजाइन, आईसीविनिर्माणऔरपैकेजिंगकोआईटीहार्डवेयरकेलिएपीएलआईयोजना 2.0 केप्रोत्साहनघटकोंकेरूपमेंभीशामिलकियागयाहै।यहलैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वनपीसी, सर्वरऔरअल्ट्रास्मॉलफॉर्मफैक्टर (यूएसएफएफ) उपकरणोंमेंबड़ेपैमानेपरविनिर्माणकोबढ़ावादेगा।

iv. इलेक्ट्रॉनिकघटकोंऔरसेमिकंडक्टरोंकेविनिर्माणकोबढ़ावादेनेकीयोजना (एसपीईसीएस) को **01** अप्रैल**, 2020** कोअधिसूचितकियागयाथा**,** जिसमेंइलेक्ट्रॉनिकउत्पादोंकीडाउनस्ट्रीममूल्यश्रृंखला**,** यानीइलेक्ट्रॉनिकघटकों**,** सेमिकंडक्टर**/**डिस्प्लेफैब्रिकेशनइकाइयों**,** एटीएमपीइकाइयों**,** विशेषउप**-**असेंबलीऔरपूंजीगतवस्तुओंकेनिर्माणकेलिएइलेक्ट्रॉनिकसामानोंकीपहचानकीगईसूचीकेलिएपूंजीगतव्यय पर **25%** कावित्तीयप्रोत्साहनप्रदानकियागयाथा।यहयोजना **31.03.2024** तकप्रोत्साहनकेसंवितरणकेसाथ **31.03.2024** तकआवेदनप्राप्तकरनेकेलिएखुलीहै।

v. संशोधितइलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माणक्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजनाको **01** अप्रैल**, 2020** कोअधिसूचितकियागयाथा**,** ताकिदेशमेंइकाइयांस्थापितकरनेकेलिएप्रमुखवैश्विकइलेक्ट्रॉनिक्सनिर्माताओंकोआकर्षितकरनेकेलिएरेडी बिल्टफैक्ट्री **(**आरबीएफ**)**

शेड/प्लगएंडप्लेसुविधाओंसहितसामान्यसुविधाओंऔरसुविधाओंकेसाथविश्वस्तरीयबुनियादीढांचेकेनिर्माणकेलिएसहायताप्रदानकीजासके।यहयोजनापूरेदेशमेंईएमसीपरियोजनाओंऔरसामान्यसुविधाकेंद्रों (सीएफसी) दोनोंकीस्थापनाकेलिएवित्तीयसहायताप्रदानकरतीहै।यहयोजनामार्च, 2024 तककीअवधिकेलिएआवेदनप्राप्तकरनेकेलिएखुलीहैऔरमार्च, 2028 तककीआगेकीअवधिअनुमोदितपरियोजनाओंकोधनकेवितरणकेलिएउपलब्धहै।

2. सेमीकंडक्टर्सऔरडिस्प्लेमैन्युफैक्चरिंगइकोसिस्टमकेविकासकेलिएकार्यक्रम: इलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माणकोविस्तृत औरसुदृढ़ करनेकेलिए, केंद्रीयमंत्रिमंडलने 15.12.2021 कोसेमीकंडक्टरऔरडिस्प्लेमैन्युफैक्चरिंगइकोसिस्टमकेविकासकेलिए 76,000 करोड़रुपयेकेपरिव्ययकेसाथएकव्यापककार्यक्रमकोमंजूरीदी।कैबिनेट की मंजूरी के साथ, पहले से ही स्थापित सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र वाले देशों और उन्नत नोड प्रौद्योगिकियों की सीमित संख्या में कंपनियों द्वारा पेश किए गए अत्यधिक प्रोत्साहनों को देखते हुए कार्यक्रम को 21.09.2022 को और संशोधित किया गया है।संशोधितकार्यक्रमकाउद्देश्यसेमीकंडक्टर, डिस्प्लेमैन्युफैक्चरिंगऔरडिजाइनइकोसिस्टममेंनिवेशकरनेवालीकंपनियोंकोवित्तीयसहायताप्रदानकरनाहै।यहवैश्विकइलेक्ट्रॉनिक्समूल्यश्रृंखलाओंमेंभारतकीबढ़तीउपस्थितिकामार्गप्रशस्तकरनेकाकामकरेगा।संशोधितकार्यक्रमप्रौद्योगिकीनोडोंकेसाथ-साथकम्पाउंड सेमिकंडक्टर, पैकेजिंगऔरअन्यसेमिकंडक्टरसुविधाओंकेलिएसेमीकंडक्टरफैब्सकेलिएसमानरूपसेपरियोजनालागतके 50% कीराजकोषीयसहायताप्रदानकरताहै।

पात्रआवेदकोंकेलिएअबनिम्नलिखितवित्तीयप्रोत्साहनउपलब्धहैं:

क. इलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माणपारिस्थितिकीतंत्रकोमजबूतकरनेऔरएकविश्वसनीयमूल्यश्रृंखलास्थापितकरनेमेंमददकरनेकेलिएदेशमें सेमीकंडक्टरवेफरफैब्रिकेशनसुविधाओंकीस्थापनाकेलिएबड़ेनिवेशकोआकर्षितकरनेकेलिए**भारतमेंसेमीकंडक्टरफैब्सकीस्थापनाकेलिएसंशोधितयोजना**।यहयोजना *भारतमें*सिलिकॉनसीएमओएसआधारितसेमीकंडक्टरफैबकीस्थापनाकेलिएसमरूपआधारपरपरियोजनालागतके 50% कीराजकोषीयसहायताप्रदानकरतीहै।

ख. इलेक्ट्रॉनिक्सविनिर्माणपारिस्थितिकीतंत्रकोमजबूतकरनेकेलिएदेशमेंटीएफटीएलसीडीयाएमोलेडआधारितडिस्प्लेपैनलकेनिर्माणकेलिएबड़ेनिवेशकोआकर्षितकरनेकेलिए **'भारतमेंडिस्प्लेफैब्सकीस्थापनाकेलिएसंशोधितयोजना'**।यहयोजना *भारतमेंडिस्प्लेफैबकीस्थापनाकेलिए* समरूप आधारपरपरियोजनालागतके 50% तककीवित्तीयसहायताप्रदानकरतीहै।

ग. **'भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर, फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स, फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग (एटीएमपी)/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित स्कीम'**भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स (एसआईपीएच)/सेंसर (एमईएमएस सहित), फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए समरूप आधार पर पूंजीगत व्यय के 50% की राजकोषीय सहायता प्रदान करेगी।

घ. **'सेमीकॉनइंडियाफ्यूचरडिजाइन: डिजाइनलिंक्डइंसेंटिव (डीएलआई) योजना'**एकीकृतसर्किट (आईसी), चिपसेट, सिस्टमऑनचिप्स (एसओसी), सिस्टमऔरआईपीकोरऔरसेमीकंडक्टरलिंक्डडिजाइनकेलिएसेमीकंडक्टरडिजाइनकेविकासऔरनियोजन केविभिन्नचरणोंमेंवित्तीयप्रोत्साहन, डिजाइनबुनियादीढांचेकासमर्थनप्रदानकरतीहै।यहयोजना 5 वर्षोंमेंप्रतिआवेदनआई एन आर 15 करोड़कीसीमाकेबशर्ते पात्रव्ययके 50% तकका "उत्पादडिजाइनलिंक्डप्रोत्साहन" औरप्रतिआवेदन₹ 30 करोड़कीसीमाकेअधीनशुद्धबिक्रीकारोबारके 6% से 4% का "नियोजन संबद्ध प्रोत्साहन" प्रदानकरतीहै।

उपर्युक्तस्कीमोंकेअतिरिक्त, सरकारनेसेमी-कंडक्टरप्रयोगशाला, मोहालीकेब्राउनफील्डफैबकेरूपमेंआधुनिकीकरणकाभीअनुमोदनकियाहै।

3. **100% एफडीआई:** मौजूदा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति के अनुसार, लागू कानूनों/विनियमों; सुरक्षा और अन्य शर्तें के अधीन इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों को छोड़कर) के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक एफडीआई की अनुमति है।

4. **संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एसआईपीएस):** इस योजना को 27 जुलाई, 2012 को अधिसूचित किया गया था ताकि बाधाओं को दूर करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को आकर्षित किया जा सके। योजना की अवधि बढ़ाने, 15 और उत्पाद वर्टिकल को शामिल करके योजना का दायरा बढ़ाने और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए अगस्त, 2015 में इसमें संशोधन किया गया था। निवेश में तेजी लाने के लिए जनवरी, 2017 में इस योजना में और संशोधन किया गया। यह योजना पूंजीगत व्यय के लिए सब्सिडी प्रदान करती है - विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में निवेश के लिए 20% और गैर-एसईजेड में 25%। ये प्रोत्साहन संपूर्ण इलेक् ट्रॉनिक् स विनिर्माण मूल् य श्रृंखला को कवर करने वाले इलेक् ट्रॉनिक उत् पादों और घटकों की 44 श्रेणियों/वर्टिकल के लिए उपलब् ध हैं। यह योजना 31.12.2018 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली थी और कार्यान्वयन मोड में है।

5. **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना:** निवेश को आकर्षित करने के लिए सामान्य सुविधाओं और प्रसुविधाओं के साथ-साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए 22 अक्टूबर, 2012 को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना अधिसूचित की गई थी।

6. **इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि (ईडीएफ):** इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि (ईडीएफ) को पेशेवर रूप से प्रबंधित "डॉटर फंड्स" में भाग लेने के लिए "फंड ऑफ फंड्स" के रूप में स्थापित किया गया है जो बदले में स्टार्टअप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों का विकास करने वाली कंपनियों को जोखिम पूंजी प्रदान करेगा। इस फंड से इन प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

7. मोबाइल फोनों और उनके उप-असेंबली/पुर्जों के विनिर्माण में घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के **लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी)** अधिसूचित किया गया है। परिणामस्वरूप, भारत ने तेजी से इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना शुरू कर दिया है और देश में महत्वपूर्ण विनिर्माण क्षमताएं स्थापित की गई हैं। मोबाइल फोनों का विनिर्माण सेमी नॉक्ड डाउन (एसकेडी) से कंप्लीटली नॉक्ड डाउन (सीकेडी) स्तर तक लगातार बढ़ रहा है, जिससे घरेलू मूल्यवर्धन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है

8. अन्य बातों के साथ-साथ सेल्युलर मोबाइल फोनों, टेलीविजनों, इलेक्ट्रॉनिक संघटकों, टीवी के लिए सेट टॉप बॉक्सों, एलईडी उत्पादों और चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों सहित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए **प्रशुल्क संरचना** को युक्तिसंगत बनाया गया है।

9. **पूंजीगतसामानपरमूलसीमाशुल्कसेछूट**:विनिदष्टइलेक्ट्रॉनिकवस्तुओंकेविनिर्माणकेलिएअधिसूचितपूंजीगतवस्तुओंकोशून्यमूलसीमाशुल्क परआयातकीअनुमतिहै।

10. **प्रयुक्तसंयंत्रऔरमशीनरीकासरलीकृतआयात**: इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योग द्वारा उपयोग के लिए कम से कम 5 वर्ष के अवशिष्ट जीवन वाले प्रयुक्त संयंत्र और मशीनरी के आयात को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिसूचना दिनांक 11.06.2018 माध्यम से खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आंदोलन) नियमावली, 2016 में संशोधन के माध्यम से सरल बनाया गया है।

11. **उम्रबढ़नेकेप्रतिबंधमेंढील**: राजस्व विभाग ने अधिसूचना सं.60/2018-सीमा शुल्क दिनांक 11.09.2018 के माध्यम से अधिसूचना संख्या 158/95-सीमा शुल्क दिनांक 14.11.1995 में संशोधन किया है, जिसमें भारत में निर्मित और मरम्मत या मरम्मत के लिए भारत में पुनः आयात किए जाने वाले निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए उम्र बढ़ने के प्रतिबंध में 3 साल से 7 साल तक ढील दी गई है।

12. **सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017:** 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करने और भारत में वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के दिनांक 15.06.2017 के आदेश माध्यम से सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 जारी किया हैऔर बाद में इसमें दिनांक 28.05.2018,29.05.2019, 04.06.2020 और 16.09.2020 को

संशोधन किए गए हैं । उपरोक्त आदेश के आगे, एमईआईटीवाई ने स्थानीय आपूतकर्ताओं से खरीदे जाने के लिए13 इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, (i) डेस्कटॉप पीसी, (ii) पतले ग्राहक, (iii) कंप्यूटर मॉनिटर, (iv) लैपटॉप पीसी, (v) टैबलेट पीसी, (vi) डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, (vii) संपर्क और संपर्क रहित स्मार्ट कार्ड, (viii) एलईडी उत्पाद, (ix) बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल / प्रमाणीकरण उपकरण, (x) बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट सेंसर, (xi) बायोमीट्रिक आइरिस सेंसर, (xii) सर्वर, और (xiii) सेल्यूलर मोबाइल फोनके लिए स्थानीय सामग्री की गणना के लिए तंत्र अधिसूचित किया है।

13. **अनिवार्य पंजीकरण आदेश (सीआरओ):** एमईआईटीवाई ने भारत में घटिया और असुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात को रोककर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य अनुपालन हेतु "इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सामान (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012" अधिसूचित किया है। सीआरओ के तहत 63 उत्पाद श्रेणियों को अधिसूचित किया गया है और यह आदेश 63 उत्पाद श्रेणियों पर लागू है।

******